तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.10.24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधि० उप० प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी०पी०सी० के जवाब बाबत हेतु दिनांक 19.11.24 को पेश हो।	
19/11/2024	पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उप०। पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर की आराजी नं. 3035, 3036, 3037 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के वारिसान अन्तरितियों के मध्य विभाजित हो चुकी है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नं. 3035 चार भागों में 3035/1, 9662/3035, 11069/3035, 11068/3035, खसरा नं. 3036 तीन भागों में 3036/1, 11070/3036, 11071/3036, खसरा नं. 3037 दो भागों में 3037/1, 3037 में विभक्त होकर खाता सं. 2575, 2576, 3206, 3655 एवं 3656 में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में चाही गई अनुतोष (रिलीफ) प्राप्त हो चुका है। अतः वाद को खारिज किया जावे। पैरोकार सरकार की बहस सुनी। राजस्व रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं सम्बन्धित राजस्व विधि का मनन एवं अध्ययन किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार वादी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खातेदार नहीं है, उसके विधिक वारिसों के नाम	

-लगातार-

19/11/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

113/2009 मंगलू व/द मांगी वगै०

19/11/24 में विभाजित होकर पृथक खाता दर्ज हो चुका है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण के मध्य भूमि विभाजित हो चुकी है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में चाही गई दाद (अनुतोष) प्राप्त होजाने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा-53, 54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

19/11/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा